महत्वपूर्ण / शीर्षप्राथमिकता

संख्या–1761 / 38–4–10–42विविध / 2010

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–4 लखनऊःदिनांक–07 सितम्बर 2010

विषयः डा0 अम्बेडकर ग्रामों के संतृप्तीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, कानपुर नगर के अर्द्धशा0 प0 संख्या– 1289, दिनांक–19 जुलाई, 2010 में डा0 अम्बेडकर ग्रामों को **"आवासहीन को आवास"** कार्यक्रम से संतृप्त करने हेतु महामाया आवास योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त धनराशि की मांग की गयी है। इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रमुख सचिव, डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास विभाग,उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–2024 / 66–1–09–40 / 09, दिनाक–13 नवम्बर, 2009 के प्रस्तर–5 के उप प्रस्तर–(11) में निम्न प्राविधान हैः–

आवासहीन को आवास–*"भारत सरकार द्वारा संचालित इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार बी0पी0एल0 सर्वे–2002 की इन्दिरा आवास की स्थायी प्रतीक्षा सूची से क्रमानुसार पात्र परिवारों को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराया जायेगा। ग्राम पंचायत की स्थायी पात्रता सूची के सभी पात्र व्यक्तियों के आवास निर्माण के उपरान्त ग्राम को इस कार्यक्रम से संतृप्त माना जायेगा"।*

2– महामाया आवास योजना के कार्यान्वयन के संबंध में ग्राम्य विकास अनुभाग–9 से निर्गत शासनादेश संख्या–177 / 38–9–10–13ब / 2006, दिनांक–14 जनवरी, 2010 में यह प्राविधान है कि अनुसूचित जाति / जनजाति के आवास विहीन तथा अस्थायी झोपड़ियों में रहने वाले ऐसे पात्र परिवारों को महामाया आवास अनुमन्य किया जाये जिनके नाम इन्दिरा आवास की स्थायी पात्रता सूची में न हो।

3– इस प्रकार डा0 अम्बेडकर ग्रामों को **"आवासहीन को आवास"** कार्यक्रम से संतृप्त करने के लिए महामाया आवास की उपलब्धता नहीं रह गयी है।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
सचिव।

संख्याः 1761(1)/38-4-10 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

6.9.10

(सीताराम यादव)

संयुक्त सचिव।

संख्याः 1761(1)/38-4-10 तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

16.9.10

(सीताराम यादव)

संयुक्त सचिव।